Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 15-12-2006
Participants : Rao Dr. Dasari Narayan,Pradhan Shri Dharmendra,Mehta Shri Bhubneshwar Prasad,Ahir Shri Hansraj Gangaram,Yadav Shri Ram Kripal,Rao Dr. Dasari Narayan,Kumar Shri Shailendra

>

Title: Shri Bhubneshwar Prasad Mehta called the attention of the Minister of Coal to the situation arising out of the accident at Bhatdih Colliery of BCCL in Western Jharia resulting in loss of lives of about 50 workers and steps taken by the Government in this regard.

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला मंत्री का ध्यान अवलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विाय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

> "पश्चिमी झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोलियरी में दुर्घटना, जिसके कारण लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हो गई, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (DR. DASARI NARAYAN RAO): Sir, a major accident occurred at Nagda mine of Bhatdih Colliery, Western Jharia Area of Bharat Coking Coal (BCCL) on 6-9-2006 at about 8.00 P.M. (II Shift), in which 50 persons died and four received reportable injuries. The accident which *prima facie* appears to be an explosion, occurred in 17th No. Incline, Mahuda bottom seam where Bord and Pillar system of mining and depillaring with sand stowing was in progress.

A loud sound was reportedly heard from the fan drift of 17th No. Incline at about 8.00 P,M. Three persons (1 Haulage Khalasi & 2 trammers) engaged at '0' level came out of the mine and were found covered with coal dust. Immediately on receipt of information about the incident, senior officials of BCCL; CMD, BCCL; CMD, Coal India Ltd. (CIL) and officers from Directorate General of Mines Safety rushed to the accident site to organise and supervise rescue operations. The then Minister of Coal and Secretary (Coal) also visited the site of mine accident on 7.9.2006.

Control Rooms were established at Ministry of Coal, New Delhi, Coal India Ltd. Headquarters, Kolkata, BCeL Headquarters, Ohanbad and at Moonidih

---

* Placed in Library. See No. LT 5575/2006

mine. All 50 bodies could be located within 44 hours after clearing the mine of obnoxious and toxic gases resulting from the explosion. This could be achieved by quick response and efforts put in by rescue teams and the supervising personnel by establishing fresh air bases in the underground workings.

Soon after the accident CMD, BCCL with the approval of CMD, CIL ordered an enquiry into the accident by a High Level Committee of Senior officials comprising of CMD, Central Mines Planning Design Institute Ltd. (CMPDIL), Director(Tech.), CIL, Director(P&IR), elL and Director(Tech.), CMPDI. The enquiry is in progress and the Committee has been directed to submit its report by 1-1-2007.

While there are different conjunctures regarding the accident, however, the cause of such disaster can only be ascertained after detailed enquiry. The Court of Inquiry has already been constituted by the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi, *vide* Notification No. S.0.1756 (E) dated 12-102006. The Court of Enquiry is to submit its report within 3 months. Suitable action will be initiated based on the findings and recommendations of the enquiry reports.

I wish to state that the rescue/recovery operations and rehabilitation work including clearing of dues, payment of compensation etc., were completed in most systematic manner in a very short time. The dependents of each deceased are entitled to compensation ranging from, Rs. 8.781akhs to Rs. 11.06 lakhs. This covers payments towards ex-gratia, Life Cover, Benevolent fund, funeral expenses, compensation as per Workmens' Compensation Act, 1923 and gratuity. This also includes additional exgratia of Rs. 3.00 lakhs to the family of each deceased person as announced by the then Minister of Coal and Rs. One lakh to each sanctioned by the Chief Minister of Jharkhand. In addition, all ex-gratia payment ofRs 1.00 lakh each from the Prime Minister's National Relief Fund has also been sanctioned. Besides, payment of Provident Fund through Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) is being disbursed. Out of 50 deceased, employment to 48 dependents of the deceased workmen has already been given (two under-aged male dependents have been kept in employment roster and their mothers have been given monetary compensation till they become major). One lady dependent has opted for monetary compensation which will continue till she attains the age of 60 years and one widow will be offered employment pending genunity of her claim.

Subsequent to the mine accident, Secretary (Coal) reviewed the safety status of coal mines and instructions have been issued to all CMDs of Coal India Limited(CIL) and its subsidiaries, Singareni Collieries Company Limited (SCCL) and Neyveli Lignite Corporation (NLC) to focus on the need to inculcate a culture of safety at all levels across all operations in the coal companies. Former Minister of Coal and myself have reviewed the safety status of coal mines of CIL, SCCL, NLC and other coal mines in private sector in the meeting of Standing Committee on Safety in Coal Mines held on 17-11-2006 at New Delhi.

I would like to assure the august House that the Govt. and coal lignite PSUs are determined to ensure safe mining conditions.

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय,झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोयला खदान में पिछले 6 सितम्बर को 50 मजदूरों की मौत हो गई और 4 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गये। मैं स्वंय घटना स्थल पर गया था और मेरे बाद माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य भी गये थे। मजदूरों से बात करने के बाद वहां के अधिकारियों से भी हम लोगें ने बातें कीं। लोगोंने बताया कि इस संबंध में कई बार मैनेजमेंट को लिखित रूप से यूनियन ने दिया है कि यह खदान चलने लायक नहीं है क्योंकि इस खदान में बालू की भराई ठीक से नहीं होती है। जितनी बालू की भराई की जाती है, उसके लिये दुगना पैसा लिया जाता है और दुगना पैसा

लेकर बुक की जाती है । इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है। जब चासनाला में खान दुर्घटना हुई थी, उस समय 274 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद गज़लीटाड में 64 मजदूर और भटदीह खान दुर्घटना में 50 मजदूरों की मृत्यु हुई है।

अध्यक्ष महोदय. अगर बालू की भराई ठीक से होती तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती। पदाधिकारियों को कई बार रिप्रेजेंटेशन दिये गये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर बालू की भराई ठीक से नहीं की गई तो ऐसी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अब तक जितनी भी खान दुर्घटनायें हुई हैं, उसके लिये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई हो या डिपार्टमेंटल इक्वायरी हुई हो, उन सब में डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माईन्स दोीा पाये गये हैं। आज तक डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माइन्स पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा जनरल मैनेजर, या सीएमडी होता है, उसके बाद टैक्नीकल पदाधिकारी होते हैं, उन पर भी कोई कार्य वाही नहीं की गई। इस के चलते ऐसी घटनायें घट रही हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि बीसीसीएल के सी.एम.डी. चेयरमैन हो गये हैं और जो डायरेक्टर(पर्सोनल) हैं, वह सीएमडी हो गये हैं. जो 6 अधिकारी सस्पैंड किये गये हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक लेबर मिनिस्ट्री से नहीं आई है लेकिन उन्हें ड्यूटी पर ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना का जिक्र और करना चाहूंगा। जब भी किसी कोलियरी में दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसमें कहा गया है कि जांच और गवाही के आधार पर यह पाया गया है कि यह भारत सरकार के महानिदेशक, खान की जिम्मेदारी है कि उस मामले की जांच करे और उस बात का स्पटीकरण करे कि ऐसी हालत में खान को न चलाया जाये। इसके अलावा र्वा 2001 से कोयला मंत्रालय और लेबर मिनिस्ट्री ने किसी भी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। बागडिगी कोलियरी की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी थी, उसके निर्का की कुछ लाइनें मैं पढ़ कर सुनाता हूं। मैं उन आलचोनाओं और विचारों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन गवाही से जो निर्का निकलता है, उससे पता चलता है कि बागडिगी कोलियरी में खान सुरक्षा, महानिदेशालय खान सुरक्षा से संबंधित नियम और कानून का पालन करने में अपने कार्य और ड्यूटी में असफल रहा है।

महोदय, हमेशा छोटे पदाधिकारियों पर कार्यवाही होती है, किसी भी बड़े पदाधिकारी पर जीएम, सीएमडी एवं डायरेक्टर पर कभी भी कार्यवाही नहीं होती। इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होने वाला है, यह एक राट्रीय आपदा है। इल्लिगल माइनिंग में हर र्वा सैंकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं। अंडर ग्राउंड माइनिंग की संख्या पूरे कोल इंडिया में 72 है, लेकिन इसकी कोई देख-रेख नहीं करता। कोयला मंत्रालय केवल कोयला ब्लाक का आवंटन एवं कोल इंडिया के पदाधिकारी आउटसोर्सिंग और ई-आक्शन में लगे हुए हैं। अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी नहीं हुई और सस्पैंड अधिकारियों का निलम्बन वापस ले लिया। इसलिए हमारी मांग है कि लोक सभा की एक कमेटी बना कर इसकी जांच करें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी पृठभूमि में नहीं जाता, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस पर कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम अपेक्षा रखते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति जीडीपी आठ प्रतिशत हो। सब जानते हैं कि ऊर्जा उसकी एक प्रमुख भूमिका रखता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला होता है। आज जो कोयला खदान काम कर रही है, उसकी सुरक्षा कितनी है। हाल ही में जो बीसीसीएल में घटना हुई, यह हमें दर्शाती है कि कितनी सीरियसनैस है, हम कितने केजुअल हैं। मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी, उस पर मैं दो-तीन क्वेरी पूछता हूं। उन्होंने कहा कि आठ बजे घटना की सूचना हुई। हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक ढाई घंटे तक कोई रेसक्यू ऑपरेशन वहां शुरु नहीं हुआ था, उसके बारे में मंत्री जी बताएं है। उस क्षेत्र में, वहां क्या उस बेढ़ मिथाइल गैस की सूचना पहले थी। वहां ऐसा कुछ पूर्वाभास था। वहां के अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी थी, उस विाय में आपने कुछ उल्लेख नहीं किया, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं?

अध्यक्ष महोदय, जो अपराध करता है, गुनाहगार है, क्या उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि उसने गुनाह किया या नहीं किया, तो न्याय नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइनिंग डिपार्टमेंट की एक एजेंसी है, डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी, मंत्री जी की रिपोर्ट में, उत्तर में एक बार भी डीजीएमएस के बारे में उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसमें सीएमपीडीआई को भी शामिल किया। कोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीएम भी आता है, जिन्होंने गुनाह किया, उन्होंने खुद को सर्टिफिकेट देने के लिए कमेटी बनाई। डीजीएमएस की उसमें क्या रिपोर्ट थी, उसकी एनालायसिस क्या है, उसके बारे में आप कृपा करके बताएं? मेहता जी ने कहा है और हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार नीचे के स्तर के कुछ अधिकारियों को आपने सस्पैंड किया था और उन्हें फिर रिइंस्टेट किया है। आप कोर्ट इंक्वायरी तक मत रुकिए। आपने उन्हें क्यों रिइंस्टेट किया, उसके बारे में बताएं? हमारी सूचना के हिसाब से 590 करोड़ रुपए हैं, उनमें से

कितने रुपए खर्च हो पाए? देशभर में जितनी अंडर ग्राउंड माइनिंग हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र के तालचर और ब्रजराजनगर के बारे में मानव अधिकार आयोग के वहां से एक केस, महानदी कोयला कम्पनी के वहां आया है। वहां का जलस्तर घट रहा है और उसका पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है। उस मामले में आप क्या काम्प्रीहैंसिव देश भर की अंडर माइनिंग सेफ्टी के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे, यह आप कृपा कर बताएं?

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही गम्भीर मसले पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, जिसके लिए आपको धन्यवाद। नागदा माइन भटडीह कोयलियरी में जो 50 कामगारों की मौत हुई है, यह कोई पहली घटना नहीं है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जहां घटना हुई, वहां खनन का काम नहीं किया जा रहा था वहां बोर्ड एवं पिलर्स सिस्टम में रेत भराई का काम जारी था। आप जानते हैं कि जहां रेत भराई का काम होता है वहां खनन करने वाले मजदूर काम नहीं करते हैं। वहां उन मजदूरों से काम कराने की किस की जिम्मेदारी थी, पहले तो इस बात का उत्तर मंत्री महोदय दें।

महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जहरीली गैस निकालने के बाद उन्होंने मदद पहुंचाई। मैं बताना चाहता हूं कि नई विकसित प्रणाली में जहरीली गैस की जांच करने के लिए एक चिड़िया को ले जाया जाता है और उसे वहां ले जाकर जांच की जाती है कि वहां जहरीली गैस है कि नहीं, लेकिन हमारे यहां इस नई प्रणाली को डैवलप नहीं किया गया है। जहां सेंट्रल माइनिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट खनन करने वाली कोयलरी का डिजाइन बनाता है, वहां खनन का काम किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां यह दुर्घटना हुई, वहां का डिजाइन सी.एम.पी.डी.आई. के मुताबिक बना था या नहीं। डायरैक्टर जनरल मायनिंग सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है कि जहां मायनिंग की जाती है वहां कोल मायनिंग रैगुलेशन एक्ट 1957 के तहत वैधानिक पदों को पूर्ण रूप से भरा जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि वैधानिक पद जैसे मायनिंग सरदार, मायनिंग मैन, मायनिंग अंडर मैनेजर, सुपरवाइजर आदि को भरा गया था या नहीं, क्योंकि देखने में यह आता है कि इन वैधानिक पदों को न भरने के कारण ठीक प्रकार से जांच नहीं होती है? जहां मैनेजर को जाना चाहिए, वहां वे नहीं जाते हैं। इसलिए भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं।

महोदय, मैं अपने यहां की एक घटना बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कावडी माईनम में गलत तरीके से बैंच बनाए गए, जो ढह गए। उनके ढहने से 10 कामगार मारे गए। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से गलत मायनिंग की जाती है। वर्तमान दुर्घटना की जिम्मेदारी जिन की थी, उन्हीं से आपने इसकी जांच कराई, यह ठीक नहीं है। आपको सी.आई.एल. के अधिकारियों से जांच नहीं करानी चाहिए थी। जैसा हमारे माननीय मेहता जी ने सवाल किया है, मैं अन्त में वही सवाल करना चाहता हूं कि इसकी जांच के लिए लोक सभा की एक समिति बनाकर जांच कराई जाए।

MR. SPEAKER: I am strictly allowing Members by rules. There is no absolute rule that only five Members will be called. Please do not do that.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है, तो भी आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम आपको बोलने के लिए समय दें।

श्री राम कृपाल यादव : सर, हम तो आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप चुप बैठिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य ने कॉल-अटेंशन में ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि पश्चिमी झरिया में नागदा माइन भटडीह, बी.सी.सी.एल. में काम करते हुए 50 मजदूर मरे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि उन मृतकों के प्रत्येक परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी और प्रत्येक परिवार को 11 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं और इसकी पूरी तथा ठीक प्रकार से जांच कराई जाए तथा जो दोषी पाए जाएं उन्हें सख्त सजा दी जाए।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस दुर्घटना में लगभग 50 लोगों की मौत हुई। उनके लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता की घोाणा की गई। राज्य सरकार, प्रधान मंत्री और डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें सहायता देने की घोाणा की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीनों स्थानों से सहायता के लिए की गई घोाणा की राशि या मुआवजा उन मृतकों के परिवारों को मिला या नहीं? मेरा दूसरा प्रश्न है कि नए संदर्भ में, इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप कौन से नए तरीके के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ताकि भविय में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके? कोयला खानों में गरीब लोग खटते हैं और वे जीवन-मृत्यु के बीच संर्घा करते रहते हैं। उनका ख्याल प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से कौन से ऐसे पग उठा रहे हैं, ताकि भविय में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके?

MR. SPEAKER: Thank you for your cooperation. [r12]

13.00 hrs.

DR. DASARI NARAYAN RAO: Sir, I feel very sorry about this incident. … (*Interruptions*) I would like to inform the House that coal mining is a hazardous profession. That is why, all possible efforts are made to minimize the accidents and if possible to eliminate the accidents.

Sir, here the hon. Members have reported one-by-one that this mine is not fit for mining. Actually, the DGMS is from the Ministry of Labour. It is the technical authority who can authorize and who can say whether this mine is mineable or not. The DGMS carried out the inspection in Nagda Mine in July, 2005 during which they suspended mining operations and have asked the BCCL to do more sand stowing. Then, after due filling of the sand, mining operations were resumed in August, 2005. Again, the DGMS made an inspection of mine from 9.11.2005 to 1.12.2006 and found no violations. The Area Safety Officer inspected the Nagda Mine in June, 2006. Headquarters level inspection was done in February, 2006. Pit Safety Committee inspection was made in August, 2006.

Sir, actually, as against the statutory needs, the equipment of gas testing instruments available in Nagda Mine are as follows: Five Methno Meters were available and functioning at Nagda Mine at the time of the accident. One Carbon Monoxide detector and 13 safety lamps were also available there. So, they have taken all the measures. However, unfortunately, the accident took place.

Sir, this accident took place at about 8.00 p.m. As per the statutory requirement, the rescue teams should be available within 35 kilometres of the mine. Dansar rescue station is about 20 kilometres from this mine. They reached this spot by 9.30 a.m. The total area was in full of dust. There was no possibility of entering into the mine. So, they waited for two hours and rescue efforts were started from 11.30 a.m. The CMD of Coal India Limited and the CMD of BCCL reached the spot by soon. On the very next morning, the then Minister of Coal and the hon. Chief Minister visited the spot. So, this is actually the timing of the whole programme. The rescue operation has taken place within 40 hours and all the bodies were recovered. So, they have taken all the rescue measures in a right way.

As far as holding of inquiry is concerned, there is Internal-Security Organization. But more than that, the Chairman, Coal India Limited has appointed a high-level Enquiry Committee. They

suspended five officers so that they do not tamper with the evidence. The suspension was revoked only after the Departmental Inquiry is completed. After taking the evidence, they were transferred from that place. … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Nobody was hold responsible. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The inquiry is going on. Shri Acharia let him complete.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister says. I would not allow. I cannot make an exception in favour of the Leaders.

*(Interruptions) ...**

DR. DASARI NARAYAN RAO: Actually, DGMS is the statutory organization and the court of inquiry was set up. So, already they have constituted the court of inquiry. But actually, CMD of BCCL have constituted a high level Committee and the Committee is functioning. If we have two reports, I think we can cross verify it. But, actually, yesterday, we had a meeting. Even in that meeting, we have discussed one thing. We would like to consider a judicial inquiry for any accident. I think that is under consideration. I think we are going to discuss this. This is about the inquiry.

Regarding the compensation, the hon. Member asked what was the compensation given for the dependents of each deceased. The dependents of each deceased are entitled to a compensation ranging from Rs. 8.78 lakh to Rs.11 lakh. Rs.3 lakh special *ex gratia* is there. The hon. Prime Minister has sanctioned Rs.1 lakh from PM's Relief Fund and Rs. 1 lakh is from the Chief Minister, Jharkhand. The entire amount was given except the amount from CM's Relief Fund of Jharkhand. That is going to be given shortly. In addition to this, the dependents of all the deceased will get Provident Fund in the range of Rs.4-5 lakh according to age and the service left and pension at the rate of 25 per cent of last pay. Dependents of 48 deceased were already given employment. One widow has opted for monthly compensation. It will be paid. It will be about Rs.4000 per month till she attains 60 years. But this amount of Rs.4000 has been there since 1994. In 1994, this amount has been fixed. It has not been revised. Now, we are considering to revise this amount.… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

MR. SPEAKER: No, I am sorry. I cannot allow.

DR. DASARI NARAYAN RAO: The DGMS is inquiring into it. We are going to get the report within three months. The High Powered Committee will give its report within one month's time. As soon as I get it, I will act.